

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, dated 08.02.2019

G.S.R. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with section 90 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Significant Beneficial Owners) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (1), for clauses (b) to (e), the following clauses shall be substituted, namely:-

'(b) "control" means control as defined in clause (27) of section 2 of the Act;

(c) "form" means the form specified in Annexure to these rules;

(d) "majority stake" means;-

(i) holding more than one-half of the equity share capital in the body corporate; or

(ii) holding more than one-half of the voting rights in the body corporate; or

(iii) having the right to receive or participate in more than one-half of the distributable dividend or any other distribution by the body corporate;

(e) "partnership entity" means a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932) or a limited liability partnership registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(f) "reporting company" means a company as defined in clause (20) of section 2 of the Act, required to comply with the requirements of section 90 of the Act;

(g) "section" means a section of the Act;

(h) "significant beneficial owner" in relation to a reporting company means an individual referred to in sub-section (1) of section 90, who acting alone or together, or through one or more persons or trust, possesses one or more of the following rights or entitlements in such reporting company, namely:-

- (i) holds indirectly, or together with any direct holdings, not less than ten per cent. of the shares;
- (ii) holds indirectly, or together with any direct holdings, not less than ten per cent. of the voting rights in the shares;
- (iii) has right to receive or participate in not less than ten per cent. of the total distributable dividend, or any other distribution, in a financial year through indirect holdings alone, or together with any direct holdings;
- (iv) has right to exercise, or actually exercises, significant influence or control, in any manner other than through direct holdings alone:

Explanation I. - For the purpose of this clause, if an individual does not hold any right or entitlement indirectly under sub-clauses (i), (ii) or (iii), he shall not be considered to be a significant beneficial owner.

Explanation II. - For the purpose of this clause, an individual shall be considered to hold a right or entitlement directly in the reporting company, if he satisfies any of the following criteria, namely.—

- (i) the shares in the reporting company representing such right or entitlement are held in the name of the individual;
- (ii) the individual holds or acquires a beneficial interest in the share of the reporting company under sub-section (2) of section 89, and has made a declaration in this regard to the reporting company.

Explanation III. - For the purpose of this clause, an individual shall be considered to hold a right or entitlement indirectly in the reporting company, if he satisfies any of the following criteria, in respect of a member of the reporting company, namely:-

- (i) where the member of the reporting company is a body corporate (whether incorporated or registered in India or abroad), other than a limited liability partnership, and the individual,—
 - (a) holds majority stake in that member; or
 - (b) holds majority stake in the ultimate holding company (whether incorporated or registered in India or abroad) of that member;
- (ii) where the member of the reporting company is a Hindu Undivided Family (HUF) (through *karta*), and the individual is the *karta* of the HUF;

(iii) where the member of the reporting company is a partnership entity (through itself or a partner), and the individual,-

(a) is a partner; or

(b) holds majority stake in the body corporate which is a partner of the partnership entity; or

(c) holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate which is a partner of the partnership entity.

(iv) where the member of the reporting company is a trust (through trustee), and the individual,-

(a) is a trustee in case of a discretionary trust or a charitable trust;

(b) is a beneficiary in case of a specific trust;

(c) is the author or settlor in case of a revocable trust.

(v) where the member of the reporting company is,-

(a) a pooled investment vehicle; or

(b) an entity controlled by the pooled investment vehicle,

based in member State of the Financial Action Task Force on Money Laundering and the regulator of the securities market in such member State is a member of the International Organization of Securities Commissions, and the individual in relation to the pooled investment vehicle,-

(A) is a general partner; or

(B) is an investment manager; or

(C) is a Chief Executive Officer where the investment manager of such pooled vehicle is a body corporate or a partnership entity.

Explanation IV. Where the member of a reporting company is,

(i) a pooled investment vehicle; or

(ii) an entity controlled by the pooled investment vehicle,

based in a jurisdiction which does not fulfil the requirements referred to in clause (v) of Explanation III, the provisions of clause (i) or clause (ii) or clause (iii) or clause (iv) of Explanation III, as the case may be, shall apply.

Explanation V. - For the purpose of this clause, if any individual, or individuals acting through any person or trust, act with a common intent or purpose of exercising any rights or entitlements, or exercising control or significant influence, over a reporting company, pursuant to an agreement or understanding, formal or informal, such individual, or individuals, acting through any person or trust, as the case may be, shall be deemed to be 'acting together'.

Explanation VI. – For the purposes of this clause, the instruments in the form of global depository receipts, compulsorily convertible preference shares or compulsorily convertible debentures shall be treated as ‘shares’.

(i) “significant influence” means the power to participate, directly or indirectly, in the financial and operating policy decisions of the reporting company but is not control or joint control of those policies’.

3. In the principal rules, for rules 3 and 4, the following rules shall be substituted, namely:-

“2A. **Duty of the reporting company.**- (1) Every reporting company shall take necessary steps to find out if there is any individual who is a significant beneficial owner, as defined in clause (h) of rule 2, in relation to that reporting company, and if so, identify him and cause such individual to make a declaration in Form No. BEN-1.

(2) Without prejudice to the generality of the steps stated in sub-rule (1), every reporting company shall in all cases where its member (other than an individual), holds not less than ten per cent. of its;-

(a) shares, or

(b) voting rights, or

(c) right to receive or participate in the dividend or any other distribution payable in a financial year,

give notice to such member, seeking information in accordance with sub-section (5) of section 90, in Form No. BEN-4.

3. Declaration of significant beneficial ownership under section 90.- (1) On the date of commencement of the Companies (Significant Beneficial Owners) Amendment Rules, 2019, every individual who is a significant beneficial owner in a reporting company, shall file a declaration in Form No. BEN-1 to the reporting company within ninety days from such commencement.

(2) Every individual, who subsequently becomes a significant beneficial owner, or where his significant beneficial ownership undergoes any change shall file a declaration in Form No. BEN-1 to the reporting company, within thirty days of acquiring such significant beneficial ownership or any change therein.

Explanation.- Where an individual becomes a significant beneficial owner, or where his significant beneficial ownership undergoes any change, within ninety days of the commencement of the Companies (Significant Beneficial Owners) Amendment Rules, 2019, it shall be deemed that such individual became the significant beneficial owner or any change therein happened on the date of expiry of ninety days from the date of commencement of said rules, and the period of thirty days for filing will be reckoned accordingly.

4. Return of significant beneficial owners in shares.- Upon receipt of declaration under rule 3, the reporting company shall file a return in Form No. BEN-2 with the Registrar in respect of such declaration, within a period of thirty days from the date of receipt of such declaration by it, along with the fees as prescribed in Companies (Registration offices and fees) Rules, 2014.”.

4. In the said principal rules, for rules 7 and 8, the following rules shall be substituted, namely:-

“7. Application to the Tribunal.-

The reporting company shall apply to the Tribunal, -

(i) where any person fails to give the information required by the notice in Form No. BEN-4, within the time specified therein; or

(ii) where the information given is not satisfactory,

in accordance with sub-section (7) of section 90, for order directing that the shares in question be subject to restrictions, including -

(a) restrictions on the transfer of interest attached to the shares in question;

(b) suspension of the right to receive dividend or any other distribution in relation to the shares in question;

(c) suspension of voting rights in relation to the shares in question;

(d) any other restriction on all or any of the rights attached with the shares in question.

8. Non-Applicability.-These rules shall not be made applicable to the extent the share of the reporting company is held by,-

(a) the authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(b) its holding reporting company:

Provided that the details of such holding reporting company shall be reported in Form No. BEN-2.

(c) the Central Government, State Government or any local Authority;

(d) (i) a reporting company, or

(ii) a body corporate, or

(iii) an entity,

controlled by the Central Government or by any State Government or Governments, or partly by the Central Government and partly by one or more State Governments;

(e) Securities and Exchange Board of India registered Investment Vehicles such as mutual funds, alternative investment funds (AIF), Real Estate Investment Trusts (REITs), Infrastructure Investment Trust (InVITs) regulated by the Securities and Exchange Board of India,

(f) Investment Vehicles regulated by Reserve Bank of India, or Insurance Regulatory and Development Authority of India, or Pension Fund Regulatory and Development Authority.

5. In the principal rules, for Form No. BEN-1, Form No. BEN-2, Form No. BEN-3 and BEN-4 the following Forms shall be substituted, namely: -

"Form No. BEN-1

Declaration by the beneficial owner who holds or acquires significant beneficial ownership in shares

[Pursuant to section 90(1) of the Companies Act, 2013 and rule 2A, 3]

To

Name of the company:

Registered office address:

1. Purpose of filing the form (choose any one)

For declaration of Significant Beneficial Ownership under Section 90

For Change in Significant Beneficial Ownership under Section 90

ID of the Significant Beneficial Owner

2. Particulars of the holder of the significant beneficial interest:

Name of the Significant Beneficial Owner (Given name and last Name)	
Address and Email id	
Date of Birth/ Age	
Father's/ Mother's/Spouse's name	
Occupation	
Nationality	
Passport No. (in case of foreign national)	

3 A. Nature of indirect holding or exercise of right in the reporting company through member of the reporting company (where more than one repeat this para of the Form)

(a) Type of Member (Company/ LLP/Any other Body Corporate/HUF/ Partnership Firm/Discretionary Trust/Charitable trust/Specific Trust/Revocable Trust /Pooled Investment vehicle (PIV) / Entity controlled by PIV)

(b) Corporate Identity number(CIN) or Limited Liability Partnership Identification number(LLPIN) or any other registration number allotted by the regulator established under the Act

(c) Name of the Member

(d) Address
Line 1

Line II

City

State

Country

Pin Code

(e) Nature of indirect holding or exercise of right in the reporting company:

- By virtue of shares %
- By virtue of voting rights in shares %
- By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution %
- By virtue of exercise of control (attach copy of agreement)
- By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)

(f) Status of significant beneficial owner in the member of the reporting company (choose any one)

- Individual in case of company or any other body corporate
- Partner in case of partnership firm or LLP
- Karta in case of HUF
- Trustee in case of a discretionary trust or charitable trust
- Beneficiary in case of a specific trust
- Author or settlor in case of a revocable trust
- General Partner, Investment Manager or CEO in case of pooled investment vehicle or entity controlled by pooled investment vehicle

(g) In case the member is a partnership firm or LLP, specify whether significant beneficial owner:

- is a partner
- holds majority stake in the body corporate partner
- holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate partner

(h) In case the member is a company or any other body corporate, specify whether significant beneficial owner holds:

- majority stake in such company or body corporate
- majority stake in the ultimate holding company of such company or body corporate

(i) Whether Significant Beneficial Owner has any direct holding or right in the reporting company

Yes

No

If yes, enter details below:

By virtue of shares

	%
	%

By virtue of voting rights in shares

By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution

--

By virtue of exercise of control (attach copy of agreement)


By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)

Date:

Place:

Signature of the holder of the significant beneficial interest

Attachments:

FORM NO. BEN-2 <i>[Pursuant to section 90(4) of The Companies Act, 2013 and rule 4 and 8 of The Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018]</i>	 सत्यमेव जयते	Return to the Registrar in respect of declaration under section 90
Form language <input type="radio"/> English <input type="radio"/> Hindi		
Refer the instruction kit for filing the form.		

1. (a) * Corporate Identity Number (CIN) of company

--

Pre-fill

2. (a) Name of the company

--

(b) Registered Office Address

--

(c) *email Id

--

3. * Purpose of filing the form

For declaration of Significant Beneficial Ownership under Section 90

Number of Significant Beneficial Owners for whom the form is being filed

--

For Change in Significant Beneficial Ownership under Section 90

--

ID of the Significant Beneficial Owner

- For declaration of holding reporting company

CIN of the holding reporting company

4. (A) Number of Members through whom indirect holding or right in reporting company is being exercised

(B) Details of the Member

- I. * Manner in which significant beneficial interest is being held or exercised either indirectly or together with any direct holding or right (select one or more as may be applicable)

- By virtue of shares %
- By virtue of voting rights in shares %
- By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution %
- By virtue of exercise of control (attach copy of agreement)
- By virtue of exercise of significant influence (attach copy of agreement)

Particulars of the Member

- (a) Type of Member

- (b) Corporate Identity number(CIN) or Foreign Company Registration Number (FCRN) or Limited liability partnership Identification number(LLPIN) or any other registration number

Pre-fill

- (c) Name of the Member

- (d) Address

Line I

Line II

City State

Country Pin Code

- (e) Email ID of the Member

- (f) Date of entry of name in register u/s 88

(DD/MM/YYYY)

- (C) Status of the SBO

- (D) Whether individual (SBO) has majority stake in the

- Member of the Reporting Company
- Ultimate Holding Company of the member of the reporting company

Corporate Identity number (CIN) or FCRN or any other registration Pre-fill

Name of the ultimate holding company

(E) Whether the individual (SBO):

- is a Partner of the member
- holds majority stake in the body corporate partner
- holds majority stake in the ultimate holding company of the body corporate partner

Corporate Identity number(CIN) or FCRN or any other registration number Pre-fill

Name of the body corporate partner/ ultimate holding company

(F) Particulars of the Significant Beneficial Owner

(a) Name

First name

Last name

Middle name

(b) Father's Name (Even married women must give father's name)

First name

Last name

Middle name

(c) Date of birth (DD/MM/YYYY)

(d) Nationality

(e) Whether a citizen of India Yes No

(f) Income Tax PAN Verify Income-tax PAN Details

(g) Passport Number

(h) Address

Line I

Line II

City State

Country Pin Code

(i) Email ID of the Significant Beneficial Owner

(j) Date of acquiring Significant Beneficial Interest (DD/MM/YYYY)

(k) Date of declarations under sub-section (1) of section 90
(DD/MM/YYYY)

(l) Date of receipt of the declaration by the company
(DD/MM/YYYY)

(m) Whether Significant Beneficial Owner has any direct holding or right in the reporting company
 Yes No

If yes, enter details below:

- By virtue of shares %
- By virtue of voting rights in shares %
- By virtue of rights on distributable dividend or any other distribution %
- By virtue of exercising control (attach copy of agreement)
- By virtue of exercising significant influence (attach copy of agreement)

Attachments:

1. *Declaration under Section 90
2. Optional attachments, if any

List of Attachments

Declaration

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and attachments is correct and complete. I have been authorized by board of directors' resolution dated (DD/MM/YYYY) to sign and submit this form.

To be digitally signed by DSC BOX

*Designation

*Director identification number of the director; or
DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or
Membership number of company secretary.

Certificate by Practicing Professional

It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

Chartered Accountant (in whole-time practice) or Cost Accountant (in whole-time practice) or

Company Secretary (in whole-time practice) DSC BOX

Whether Associate or Fellow Associate Fellow

Membership Number

Certificate of Practice Number

Modify

Check form

Prescrutiny

Submit

Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional.

Form no. BEN-3

Register of beneficial owners holding significant beneficial interest

[Pursuant to section 90(2) of the Companies Act, 2013 and rule 5(1)]

Name of the company:

Registered office address:

Sl. No.	Name of the Beneficial Owner	Address and E-mail id	Date of Birth/ Age	Father's/ Mother's/ Spouse's name
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Occupation	Nationality	PAN/UIN	Passport No. (in case of foreign national)	Status

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Date of declaration under section 90	Date of cessation	Date of entry in Register	Date of filing of BEN-2(SRN wise)	Any other interest, if any
(11)				
Instructions, if any, given by the member				

Form no. BEN-4

[Pursuant to section 90(5) of the Companies Act, 2013, rule 2A, 6 and rule 7]

[<<Insert Company Name>>] (the "Company")

<<Insert Date>>

[By post/email]

To:

Name and address of significant beneficial owner/any other person

Date:

Subject: Notice under sub-section (5) of Section 90 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder

The Company has reasonable cause to believe that* :

- you are a significant beneficial owner of the company;
- have knowledge of the identity of significant beneficial owner/another personlikely to have such knowledge;
- being a member hold not less than 10% of the shares/voting rights/rights on dividend or any other distribution in the company
- have been a significant beneficial owner of the company during the three years immediately preceding the date of this notice, and

in respect of the above significant beneficial ownership, the return prescribed under Section 90 of the Act has not been filed in compliance with the Act.

You are accordingly advised to give the following information within 30 days of the date of this notice in accordance with the section 90 of the Companies Act, 2013:

1. Name and Address of the Beneficial Owner
2. PAN of the B.O
3. Name of the person/entity/trust/body etc in whose name the shares/rights are registered/held
4. Date of acquiring beneficial interest
5. Documents, terms and conditions or any other particulars regarding the BO ownership
6. Reason for not filing declaration in Form No. BEN-1.
7. Any other information incidental to or relevant or in your possession or knowledge to enable the company to evaluate this matter.


* A copy of Form No. BEN-1 is attached for compliance.

The abovementioned particulars should be submitted in writing to the registered address of the company not later than 30 days of the date of this notice failing which the company shall proceed in the matter without further notice as per the provisions of the Act.

Name & signature
(Person authorized to issue notice)

**Delete whichever is not applicable*

[F.No. 1/1/2018 CL-V]


08/2/2019
K.V.R. Murty, Joint Secretary.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 561(E), dated the 13th June, 2018.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 08 फरवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) धारा 90 के साथ पठित धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 2 के, उपनियम (1) में, खंड (ख) से (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“ख) “नियंत्रण” से अधिनियम की धारा 2 के खंड (27) में यथापरिभाषित नियंत्रण अभिप्रेत है;

(ग) “प्ररूप” से इन नियमों के अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) “बहुमत शेयर” से तात्पर्य:-

- (i) कारपोरेट निकाय में आधे से अधिक साम्या शेयरपूजी धारण करना; या
- (ii) कारपोरेट निकाय में आधे से अधिक मताधिकार धारण करना; या
- (iii) वितरण करने योग्य लाभांश या कारपोरेट निकाय द्वारा अन्य वितरणों के आधे से अधिक शेयर को प्राप्त करने या भागीदार होने का अधिकार रखना;

(ड) “भागीदारी ईकाई” से वह भागीदार फर्म अभिप्रेत है जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है;

(च) “रिपोर्टिंग कंपनी” से वह कंपनी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (20) में यथापरिभाषित है और अधिनियम की धारा 90 की अपेक्षाओं का अनुपालना करती है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है;

(ज) रिपोर्टिंग कंपनी के संबंध में "महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी" से धारा 90 की उपधारा (1) में संदर्भित वह वैयक्तिक अभिप्रेत है जो अकेला या साथ मिलकर, या एक या अधिक व्यक्तियों या न्यास के माध्यम से कार्य करता है, ऐसी रिपोर्टिंग कंपनी में निम्नलिखित एक या अधिक अधिकार या हकदारी रखता है, अर्थात् -

- (i) अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग्स के साथ मिलकर शेयरो का न्यूनतम दस प्रतिशत धारित करता है;
- (ii) अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग्स के साथ मिलकर मताधिकार का न्यूनतम दस प्रतिशत धारित करता है;
- (iii) किसी वित्तीय वर्ष में केवल अप्रत्यक्ष होल्डिंग्स या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग के साथ मिलकर कुल वितरण योग्य लाभांश, या अन्य किसी वितरण का न्यूनतम दस प्रतिशत प्राप्त करने या भागीदार होने का अधिकार रखता है;
- (iv) प्रत्यक्ष होल्डिंग्स मात्र के माध्यम से भिन्न किसी रीति से महत्वपूर्ण प्रभाव या नियंत्रण प्रयोग करने का, या वास्तविक प्रयोगों का अधिकार रखता है।

स्पष्टीकरण I: इस खंड के प्रयोजनार्थ, यदि कोई वैयक्तिक खंड (i), (ii) या (iii) के अधीन अप्रत्यक्ष रूप से कोई अधिकार या हकदारी नहीं रखता है तो वह महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी माना जाएगा।

स्पष्टीकरण II: इस खंड के प्रयोजनार्थ, कोई वैयक्तिक, रिपोर्टिंग कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से अधिकार या हकदार माना जाएगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करता है, अर्थात्:-

- (i) ऐसे अधिकार या हकदारी का प्रतिनिधित्व करने वाली रिपोर्टिंग कंपनी में शेयर उस वैयक्तिक के नाम धारित है;
- (ii) वैयक्तिक धारा 89 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्टिंग कंपनी के शेयरों में हिताधिकारी हितधारण करता है या अर्जित करता है और इस संबंध में रिपोर्टिंग कंपनी की घोषणा कर चुका है।

स्पष्टीकरण III: इस खंड के प्रयोजनार्थ, कोई वैयक्तिक रिपोर्टिंग कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार या हितधारित माना जाएगा यदि वह रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य के संबंध में निम्नलिखित में से किसी मानदंड को पूरा करता है, अर्थात्:-

- (i) यदि रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य, सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न, कोई कारपोरेट निकाय (भले ही भारत में या विदेश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत हो) है और वह वैयक्तिक, -

- (क) उस सदस्य में अधिकतम शेयर धारित करता है; या
- (ख) उस सदस्य की अंतिम होल्डिंग कंपनी (भले ही भारत में या विदेश में निगमित या रजिस्ट्रीकृत हो) में अधिकतम शेयर धारित करता है;
- (ii) यदि रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य हिन्दु अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) (कर्ता के माध्यम से) है, और वह वैयक्तिक एचयूएफ का कर्ता है;
- (iii) यदि रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य भागीदारी ईकाई (स्वयं या भागीदार के माध्यम से) है, और वह वैयक्तिक, -
- (क) भागीदार है; या
- (ख) उस कारपोरेट निकाय में अधिकतम शेयर धारित करता है जो भागीदारी निकाय का एक भागीदार है; या
- (ग) कारपोरेट निकाय की अंतिम होल्डिंग कंपनी में अधिकतम शेयर धारित करता है जो भागीदारी निकाय का एक भागीदार है।
- (iv) यदि रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य एक न्यास (न्यासियों के माध्यम से), और वह वैयक्तिक, -
- (क) वैयक्तिक न्यास या पूर्ण न्यास के मामले में न्यासी है;
- (ख) विशिष्ट न्यास के मामले में हिताधिकारी है;
- (ग) प्रतिसंहरणीय न्यास के मामले में लेखक या व्यवस्थापक है।
- (v) यदि रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य, -
- (क) एक एकत्रीकृत विनिधान माध्यम; या
- (ख) एकत्रीकृत विनिधान माध्यम द्वारा नियंत्रित एक संस्था है,

धनशोधन संबंधी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सदस्य राज्य में अवस्थित है और ऐसे सदस्य राज्य में प्रतिभूति बाजार नियामक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन का एक सदस्य है तथा एकीकृत विनिधान माध्यम के संबंध में व्यक्ति -

- (क) एक सामान्य भागीदार है; या
- (ख) एक निवेश प्रबंधक है; अथवा
- (ग) एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जहां ऐसे एकत्रीकृत माध्यम का निवेश प्रबंधक कोई निकाय कारपोरेट या कोई भागीदारी संस्था है।

स्पष्टीकरण IV: जहां किसी रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य,

- (i) एक एकत्रीकृत विनिधान माध्यम; या
- (ii) एक एकत्रीकृत विनिधान माध्यम द्वारा नियंत्रित संस्था है,

किसी ऐसे क्षेत्राधिकार में अवस्थित है जो स्पष्टीकरण III के खंड (v) में संदर्भित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो स्पष्टीकरण III के खंड (i) या खंड (ii) अथवा खंड (iii) या खंड (iv), जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे।

स्पष्टीकरण V: इस खंड के प्रयोजनार्थ, यदि कोई व्यक्ति, या व्यक्ति समूह किसी व्यक्ति या न्यास के माध्यम से कार्यरत है, एक सामान्य आशय से या किन्हीं अधिकारों या पात्रताओं का उपयोग करने के प्रयोजन से अथवा किसी रिपोर्टिंग कंपनी के ऊपर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करने, किसी करार अथवा समझौते के अनुसरण में, औपचारिक या अनौपचारिक, ऐसा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह, किसी व्यक्ति या न्यास के माध्यम से कार्यरत जैसा भी मामला हो एक साथ कार्यरत होना माना जाएगा।

स्पष्टीकरण VI: इस खंड के प्रयोजनार्थ, वैश्विक निक्षेपागार पावतियों, अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों या आवश्यक रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के स्वरूप में लिखत को 'शेयरों' माना जाएगा।

(झ) "महत्वपूर्ण प्रभाव" से रिपोर्टिंग कंपनी के वित्तीय और संचालन नीतियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भाग लेने के अधिकार किंतु वह उन नीतियों के नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण में नहीं हैं, अभिप्रेत है।'

3. उक्त नियमों में, नियम 3 और नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"2क. रिपोर्टिंग कंपनी के कर्तव्य.- (1) प्रत्येक रिपोर्टिंग कंपनी यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि ऐसा कोई वैयक्तिक है जो नियम 2 के खंड (ज) में परिभाषित अनुसार उस रिपोर्टिंग कंपनी का महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है, और यदि ऐसा है तो उसकी पहचान करें और प्ररूप संख्या बीईएन-1 में ऐसा वैयक्तिक घोषणा करें।

(2) उपनियम (1) में कथित चरणों की व्यापकता पर प्रतिभूत प्रभाव डाले बिना प्रत्येक रिपोर्टिंग कंपनी अपने सदस्य (वैयक्तिक से भिन्न), जो इसके:

(क) शेयरों, या

(ख) मताधिकार, या

(ग) किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान योग्य लाभांश या किसी अन्य वितरण को प्राप्त करने या उसमें भागीदार होने का अधिकार का,

न्यूनतम दस प्रतिशत धारित करता है, के मामलों में ऐसे सदस्य को धारा 90 की उपधारा 5 के अनुसरण में प्ररूप संख्या बीईएन-4 में सूचना मांगते हुए आदेश देगी।

3. धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा: (1) कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) संशोधन नियम, 2018 के प्रारंभ होने की तारीख को, प्रत्येक वैयक्तिक जो किसी रिपोर्टिंग कंपनी में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी है, इन नियमों के प्रारंभ होने के नब्बे दिनों के भीतर रिपोर्टिंग कंपनी को प्ररूप संख्या बीईएन-1 में घोषणा दायर करेगा।

(2) प्रत्येक वैयक्तिक जो, बाद में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बनता है, या उसके महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में कोई परिवर्तन होता है तो वह ऐसा महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व मिलने या उसमें कोई परिवर्तन होने के तीस दिनों के भीतर रिपोर्टिंग कंपनी को प्ररूप संख्या बीईएन-1 में घोषणा दायर करेगा।

स्पष्टीकरण: यदि कोई वैयक्तिक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बनता है, या उसकी महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) संशोधन नियम, 2019 के प्रारंभ होने से नब्बे दिनों के भीतर कोई परिवर्तन होता है तो यह माना जाएगा कि ऐसा वैयक्तिक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी बन गया है या उक्त नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन समाप्त होने की तारीख तक उसमें कोई परिवर्तन हुआ है और तदनुसार फाइलिंग के लिए तीस दिन की अवधि मानी जाएगी।

4. शेयरों में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की विवरणी - नियम 3 के अधीन घोषणा प्राप्त पर, रिपोर्टिंग कंपनी इस तरह की घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को इसके द्वारा इस तरह की घोषणा प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विनिर्दिष्टानुसार फीस सहित प्ररूप संख्या बीईएन-2 में विवरणी दायर करेगी।”।

4. उक्त नियमों में, नियम 7 और नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखें जाएंगे, अर्थात्:-

“7. अधिकरण को आवेदन.-

रिपोर्टिंग कंपनी अधिकरण को आवेदन करेगी,-

(i) यदि कोई व्यक्ति प्ररूप संख्या बीईएन-4 में नोटिस द्वारा अपेक्षित सूचना उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर देने में असमर्थ रहता है; अथवा

(ii) यदि दी गई सूचना संतोषजनक नहीं होती है,

तो धारा 90 की उपधारा (7) के अनुसार अधिकरण को यह निदेश देने के लिए आवेदन कर सकेगी कि प्रश्नगत शेयर निर्बंधनों के अधीन होंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित है-

(क) प्रश्नगत शेयरों से संबद्ध हित के अंतरण पर निर्बंधन;

- (ख) प्रश्नगत शेयरों के संबंध में लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को निलंबित करना;
- (ग) प्रश्नगत शेयरों के संबंध में मताधिकारों को निलंबित करना;
- (घ) प्रश्नगत शेयरों के साथ जुड़े सभी या किन्हीं अधिकारों पर कोई अन्य निबंधन।

8. लागू नहीं होना - ये नियम निम्नलिखित द्वारा धारित रिपोर्टिंग कंपनी के शेयरों की सीमा पर लागू नहीं किए जाएंगे,-

(क) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित प्राधिकरण:

(ख) इसकी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी:

परंतु कि ऐसी होल्डिंग रिपोर्टिंग कंपनी के ब्यौरे प्ररूप संख्या बीईएन-2 में सूचित किया जाएगा;

(ग) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य स्थानीय प्राधिकरण;

(घ) (i) एक रिपोर्टिंग कंपनी, या

(ii) एक कारपोरेट निकाय, या

(iii) एक संस्था,

केंद्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा या आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हो;

(ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा नियमित विनिधान माध्यम जैसे म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) रजिस्ट्रीकृत किए।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, या पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित विनिधान माध्यम।

5. मूल नियमों में प्ररूप संख्या बीईएन-1, प्ररूप संख्या बीईएन-2 और प्ररूप संख्या बीईएन-3 के लिए निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

[हिताधिकारी स्वामी जो शेयरों में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व रखता है या अर्जित करता है, द्वारा घोषणा]

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(1) और नियम 2क और नियम 3 के अनुसरण में]

सेवा में,

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

1. यह प्ररूप दायर करने का प्रयोजन (किसी एक का चयन करें)

○ धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा हेतु

○ धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन हेतु

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का आईडी

2. महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित के धारिती के ब्यौरे:

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का नाम (नाम और अंतिम नाम लिखें)	
पता और ई-मेल पता	
जन्मतिथि/आयु	
पिता/माता/पति/पत्नी का नाम	
वृत्ति	
राष्ट्रीयता	
पासपोर्ट संख्या (यदि विदेशी राष्ट्रीयता है)	

3क. रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य के माध्यम से रिपोर्टिंग कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से धारित या प्रयोग किए जा रहे अधिकार की प्रकृति (जहां प्ररूप के इस पैरा की एकाधिक पुनरावृत्ति होती है)

(क) सदस्य का प्रकार (कंपनी/एलएलपी/अन्य कोई कारपोरेट निकाय/एचयूएफ/भागीदारी फर्म/वैवेकिक न्यास/पूर्व न्यास/विशिष्ट न्यास/प्रतिसंहरणीय न्यास/ एकत्रीकृत विनिधान माध्यम (पीआईवी)/पीआईवी द्वारा नियंत्रित निकाय

(ख) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या अधिनियम के अधीन स्थापित नियामक द्वारा आबंटित की गई अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या

(ग) सदस्य का नाम.

(घ) पता

पंक्ति I

पंक्ति II

शहर

राज्य

राष्ट्र

पिन कोड

(ङ) रिपोर्टिंग कंपनी में अप्रत्यक्ष अधिकार रखने या प्रयोग करने की प्रकृति:

- शेयरों के माध्यम से %
- शेयरों में मताधिकार के माध्यम से%
- वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से %
- नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)
- महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)

(च) रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य में महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की स्थिति (किसी एक का चयन करें)

- कंपनी या किसी अन्य कारपोरेट निकाय के मामले में वैयक्तिक
- भागीदारी फर्म या एलएलपी के मामले में भागीदार
- एचयूएफ के मामले में कर्ता
- वैयक्तिक न्यास या पूर्ण न्यास के मामले में न्यासी
- विशिष्ट न्यास के मामले में हिताधिकारी
- प्रतिसंहरणीय न्यास के मामले लेखक या प्रबंधक
- एकत्रीकृत निवेश साधन या एकत्रीकृत विनिधान माध्यम द्वारा नियंत्रित ईकाई के मामले में सामान्य भागीदार, निवेश प्रबंधक या सीईओ

(छ) यदि सदस्य भागीदारी फर्म या एलएलपी तो उल्लेख करें कि क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी:

- भागीदार है
- कारपोरेट निकाय भागीदार में अधिकतम शेयर रखते हैं
- कारपोरेट निकाय भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में अधिकतम शेयर रखते हैं

(ज) यदि सदस्य कंपनी या कोई अन्य कारपोरेट निकाय है तो उल्लेख करें कि क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी रखता है:

- ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय में अधिक शेयर
- ऐसी कंपनी या कारपोरेट निकाय की अंतिम होल्डिंग कंपनी में अधिकतम शेयर

(झ) क्या महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का रिपोर्टिंग कंपनी में कोई प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार है

○ हां

○ नहीं

यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे दें

- शेयरों के माध्यम से %
- शेयरों में मताधिकार के माध्यम से%
- वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से %
- नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)
- महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)

तारीख:

स्थान:

महत्वपूर्ण फायदाप्रद हिताधिकारी का हस्ताक्षर

संलग्नक:

प्ररूप संख्या बीईएन-2

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(4) और कंपनी (महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी) नियम, 2018 के नियम 4 और नियम 8 के अनुसरण में]



धारा 90 के अधीन घोषणा के संबंध में रजिस्ट्रार को विवरणी

प्ररूप की भाषा oअंग्रेजी oहिंदी
प्ररूप को दायर करने हेतु अनुदेश किट देखें।

1. (क)*कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) (पूर्व पूरित)
2. (क) कंपनी का नाम
(ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
(ग) *ई-मेल पता
3. *यह प्ररूप दायर करने का उद्देश्य
o धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व की घोषणा हेतु महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामियों की संख्या जिनके लिए प्ररूप दायर किया जा रहा है
.....
o धारा 90 के अधीन महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व में परिवर्तन हेतु महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का आईडी
.....
o धारित रिपोर्टिंग कंपनी की घोषणा के लिए धारित रिपोर्टिंग कंपनी का सीआईएन
.....
4. (क) उन सदस्यों की संख्या जिनके माध्यम से रिपोर्टिंग कंपनी में अप्रत्यक्ष रूप से होल्डिंग या अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है
- (ख) सदस्य का विवरण
1. *वह रीति जिसमें महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित या तो अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रत्यक्ष होल्डिंग या अधिकार के साथ मिलकर धारित है या प्रयोग किया जा रहा है। (एक या अधिक, जो लागू हो, का चयन करें)

- शेयरों के माध्यम से %
- शेयरों में मताधिकार के माध्यम से%
- वितरण योग्य लाभांश या अन्य किसी वितरण पर अधिकार के माध्यम से %
- नियंत्रण का प्रयोग करने के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)
- महत्वपूर्ण प्रभाव के माध्यम से (समझौते की प्रति संलग्न है)

सदस्य का ब्यौरा

(क) सदस्य का प्रकार

(ख) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन) या सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या अन्य रजिस्ट्रीकरण संख्या (पूर्व पूरित)

(ग) सदस्य का नाम

(घ) पता

पंक्ति I

पंक्ति II

शहर

राज्य

राष्ट्र

पिन कोड

(ङ) सदस्य का ई-मेल पता

(च) धारा 88 के अधीन रजिस्टर में नाम प्रविष्ट करने की तारीख
(दिन/माह/वर्ष)

(ग) एसबीओ की प्रस्थिति

(घ) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) के पास निम्नलिखित में अधिकतम शेयर हैं

- रिपोर्टिंग कंपनी का सदस्य
- रिपोर्टिंग कंपनी के सदस्य की अंतिम होल्डिंग कंपनी

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या (पूर्व पूरित)

अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम

(ङ) क्या वैयक्तिक (एसबीओ) :

- सदस्य का कोई भागीदार है

- कारपोरेट निकाय भागीदार में अधिकतर शेयर रखता है
- कारपोरेट निकाय भागीदार की अंतिम होल्डिंग कंपनी में अधिकतर शेयर रखता है (पूर्व पूरित)

कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) या एफसीआरएन या अन्य कोई रजिस्ट्रीकरण संख्या

कारपोरेट निकाय भागीदार/अंतिम होल्डिंग कंपनी का नाम

(च) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी की विशिष्टियां

(क) नाम

पहला नाम.....

अंतिम नाम

मध्य नाम

(ख) पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम लिखें)

पहला नाम.....

अंतिम नाम

मध्य नाम

(ग) जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष)

(घ) राष्ट्रीयता

(ङ) क्या भारत के नागरिक हैं ○ हां ○ नहीं

(च) आयकर पैन

(छ) पासपोर्ट संख्या

(ज) आधार संख्या

(झ) पता

पंक्ति I

पंक्ति II

शहर

राज्य

राष्ट्र

पिन कोड

(ञ) महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी का ई-मेल पता

(ट) महत्वपूर्ण हिताधिकारी हित प्राप्त करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ठ) धारा 90 की उपधारा (1) के अधीन घोषणाओं की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

व्यवसायरत वृत्तिक द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को इस प्ररूप की विषयवस्तु और उससे आनुषंगिक मामलों के संबंध में पढ़ लिया है और मैंने उपरोक्त विवरणों, जो उस प्ररूप की विषयवस्तु है, (जिसमें संलग्नक भी शामिल हैं) को कंपनी द्वारा रखे गए मूल/अभिलेखों से सत्यापित कर लिया है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप से संबंधित कोई सूचना छिपाई नहीं गई है।

- चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
- लागत लेखाकार (पूर्णकालिक व्यवसायरत)
- कंपनी सचिव (पूर्णकालिक व्यवसायरत)

क्या एसोशिएट या फ़ैलो है *एसोशिएट *फ़ैलो

सदस्यता संख्या

प्रैक्टिस संख्या प्रमाणपत्र

संशोधन

प्ररूप चैक करें

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत

टिप्पण: धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः मिथ्या कथन के लिए दंड और मिथ्या साक्ष्यों के लिए दंड का उपबंध करता है।

यह ई-प्ररूप कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाईल में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिया गया है और निदेशक और पेशेवर द्वारा दिए गए यथार्थता के कथन पर आधारित है।

प्ररूप संख्या बीईएन-3

महत्वपूर्ण फायदाप्रद हितधारित करने वाले हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(2) और नियम 5(1) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:

क्र.सं.	हिताधिकारी स्वामी का नाम	पता और ईमेल पता	जन्मतिथि/आयु	पिता/माता/पति/पत्नी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वृत्ति	राष्ट्रीयता	पैन/यूआईएन	पासपोर्ट संख्या (विदेशी राष्ट्रीयता के मामले में)	प्रास्थिति
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
धारा 90 के अधीन घोषणा की तारीख	समाप्ति की तारीख	रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख	बीईएन-2 दायर करने की तारीख (एसआरएन-वार)	अन्य कोई हित, यदि कोई है
(11)				
सदस्य द्वारा दिए गए अनुदेश, यदि कोई है				

✓ [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90(5), नियम 2क, नियम 6 और नियम 7 के अनुसरण में]

[<<कंपनी का नाम लिखें>>] ("कंपनी")

<<तारीख लिखें>>

[डाक/ईमेल द्वारा]

सेवा में:

महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी/अन्य कोई व्यक्ति का नाम और पता

तारीख:

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 की उपधारा (5) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन नोटिस

- कंपनी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि *:
- आप कंपनी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी हैं;
- को महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी/अन्य व्यक्ति के पहचान का ज्ञान है या, ऐसा ज्ञान होने की संभाव्यता;
- कंपनी में लाभांश या किसी अन्य वितरण पर शेयरों/मताधिकारों/अधिकारों का न्यूनतम दस प्रतिशत धारित सदस्य होना;
- इस नोटिस की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान कंपनी के एक महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामी रह चुके हैं, और

उपर्युक्त महत्वपूर्ण हिताधिकारी स्वामित्व के संबंध में अधिनियम की धारा 90 के अधीन विहित विवरणी अधिनियम के अनुसरण में फाइल नहीं की गई है।

तदनुसार, आपको कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 90 के अनुसार इस नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर निम्नलिखित सूचना देने की सलाह दी जाती है:

1. हिताधिकारी स्वामी का नाम और पता

2. बी.ओ. का पैर
3. व्यक्ति/संस्था/न्यास/निकाय आदि का नाम जिसके नाम पर शेयर/अधिकार रजिस्ट्रीकृत/धारित हैं
4. फायदाप्रद हित के अर्जन की तारीख
5. बी.ओ.स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज, निबंधन और शर्तें या अन्य कोई विशिष्टियां
6. प्ररूप संख्या बीईएन-1 में घोषणा फाइल नहीं करने के कारण
7. इस मामले का कंपनी को मूल्यांकन करने में समर्थ बनाने वाला अन्य कोई आनुषंगिक या सुसंगत सूचना या कोई ज्ञान

*प्ररूप संख्या बीईएन-1 की प्रति अनुपालन हेतु संलग्न है।

उपर्युक्त विशिष्टियां इस नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रीकृत पते पर लिखित में प्रस्तुत की जानी चाहिए, ऐसा नहीं होने पर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी बिना कोई और नोटिस दिए इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी।

नाम और हस्ताक्षर:

(नोटिस जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति)

*जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

[फा.सं. 1/1/2018.सीएल-V]

के.वी.आर.मूर्ति
08/2/2019

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, असाधारण, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 13 जून, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.561(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
